आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश कमांक 08/2017-जीएसटी

रायपुर, दिनांक : 28 अक्टूबर, 2017

विषय : छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी ट्रान—1 में घोषणा प्रस्तुत करने की समय—सीमा में वृद्धि।

क्रमांक सीजीएसटी /01/2017 (13) — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पिठत छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क की शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—1 घोषणा प्रस्तुत करने की अविध 30 नवंबर, 2017 तक बढ़ायी जोंती है।

(संगीता पी.) राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Order No. 08/2017-GST

Raipur, 28th October, 2017

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 120A of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Rules, 2017

In exercise of the powers conferred by rule 120A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-**1 is hereby extended till 30th November, 2017.

(Sangeetha P.) Commissioner, State Tax Chhattisgarh, Raipur